संख्या -1/289/84-2-2013-सीपी 26/97

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग, उ.प्र.,
7, बाला कदर रोड, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 03 सितम्बर,2013

विषय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश में रूपये दस करोड की कार्पस से राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-246/निविमावि-आठ (सा.) क.कोष/2012, दिनांक 05 जुलाई, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से केवल उत्तर प्रदेश उपभोक्ता कल्याण कोष नियम, 2013 का प्रारूप संलग्न कर उपलब्ध कराया गया है। गाइडलाइन के सम्बन्ध में कोई विवरण संलग्न नहीं किया गया है। अत: कृपया भारत सरकार की अपेक्षानुसार नियम एवं गाइडलाइन का प्रारूप हिन्दी एवं अंग्रेजी (सी.डी.) सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://bhsanadeshun.in